

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : ओम कसेरा, आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या - 31/2020 (Bank Case)

"एयू. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड" (जो पूर्व में "ए.यू. फाईनेन्सर्स (इंडिया) लिमिटेड" के नाम से जाना जाता था) जिसका पंजीकृत कार्यालय 19-ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर-302001 राजस्थान में स्थित है।

- प्रार्थी /सिक्वोर क्रेडिटर

बनाम



1. श्री महेन्द्र मेघवाल पुत्र श्री शंकर लाल (ऋणी-बंधककर्ता)
पता- 1. दीगोद, ब्राह्मणों का मोहल्ला, वकल्दा- कोटा-325203, राजस्थान
2. सम्पत्ति खसरा नं० 156, ग्राम तोरण, तहसील दीगोद जिला कोटा राजस्थान

- अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थित-श्री कुलदीप सिंह, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक: 03.03.2020

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि "एयू. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड" (जो पूर्व में "ए.यू. फाईनेन्सर्स (इंडिया) लिमिटेड" के नाम से जाना जाता था) जिसका पंजीकृत कार्यालय 19-ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर-302001 राजस्थान में स्थित व कार्यरत हैं, से अप्रार्थीगण ने दिनांक 29.08.2018 को रुपये 6,80,000/- (अक्षरे: रुपये छः लाख अस्सी हजार मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्वोरिटी के रूप में अचल सम्पत्ति श्री महेन्द्र मेघवाल पुत्र श्री शंकर लाल की सम्पत्ति- खसरा नं० 156, ग्राम तोरण, तहसील दीगोद जिला कोटा राजस्थान में स्थित हैं जिसकी चतुर्थ सीमाएँ- पूर्व में चतुर्भुज का मकान, पश्चिम में आम रास्ता, उत्तर में आम रास्ता, दक्षिण में छीतरलाल का मकान (जर्न विलेख पट्टा पत्र जो कार्यालय उप पंजीयक, दीगोद, कोटा के यहां रसीद नं० 201702459002084 दिनांक 27.10.2017 पर पंजीकृत हैं) स्थित सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिगत व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 13.08.2019 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थीगण के खातों में रुपये 7,44,691/- (अक्षरे रुपये सात लाख चौवालीस हजार छः सौ इकरानवें मात्र) बकाया रकम दिनांक 17.10.2019 तक शेष देय हैं व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्च पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 25.10.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, तथा नोटिस का अंग्रेजी समाचार पत्र "The Indian Express" एवं हिन्दी समाचार पत्र "दैनिक नवज्योति" में दिनांक 15.11.2019 को प्रकाशन भी कराया गया, इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नहीं संभलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा The


जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज.)


Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 25.10.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, तथा नोटिस का अंग्रेजी समाचार पत्र "The Indian Express" एवं हिन्दी समाचार पत्र "दैनिक नवज्योति" में दिनांक 15.11.2019 को प्रकाशन भी कराया गया, इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 25.10.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, तथा नोटिस का अंग्रेजी समाचार पत्र "The Indian Express" एवं हिन्दी समाचार पत्र "दैनिक नवज्योति" में दिनांक 15.11.2019 को प्रकाशन भी कराया गया, इसके पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/बंधककर्ता अचल सम्पत्ति श्री महेन्द्र मेघवाल पुत्र श्री शंकर लाल की सम्पत्ति- खसरा नं० 156, ग्राम तोरण, तहसील दीगोद जिला कोटा राजस्थान में स्थित हैं जिसकी चतुर्थ सीमाएँ- पूर्व में चतुर्भुज का मकान, पश्चिम में आम रास्ता, उत्तर में आम रास्ता, दक्षिण में छीतरलाल का मकान (जयें विलेख पट्टा पत्र जो कार्यालय उप पंजीयक, दीगोद, कोटा के यहां रसीद नं० 201702459002084 दिनांक 27.10.2017 पर पंजीकृत हैं) स्थित सम्पत्ति, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) कोटा को हरख कायदा जारी हो। सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति में यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे।

आदेश आज दिनांक 03.03.2020 को सुनाया गया।




(ओम कसेरा)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा
कोटा (राज.)